न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, बारह औरंगाबाद
सत्र वाद सं0 164/20 (48A/04)
बिहार राज्य बनाम अवधेश राम

14.12.2021 — दो मुदालयों में से अवधेश यादव का 317 का आवेदन है और विजय यादव की हाजरी है। वाद पुकारा गया पुकार पर बचाव पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री देवेन्द्र बाबु का कथन है कि अभियुक्तों द्वारा यह उचित पैरवी नही है और उनका बंध पत्र खारिज किया जाय।

सुना अभिलेख का अवलोकन किया। प्रथम तथ्य बात यह है कि यह वाद कासमां थाना काण्ड सं0 13/2003 दिनांक 30.05.2003 से संबंधित है और यह वाद केस डायरी के लिए अभी तक लंबित है। अभिलेख अवलोकन से यह भी पता चलता है कि यह एक पृथ्क वाद है इसका अर्थ यह हुआ कि मूल वाद किसी अन्य न्यायालय में है।

उपरोक्त परिस्थितियों में निम्नलिखित आदेश दिया जाता हैः—

1. सेशन लिपिक और जी0आर0 लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वों आपस में समन्वय बना कर इस न्यायालय को अगले तिथि तक सूचित करेंगें कि कासमां थाना काण्ड सं0 13/2003 की डायरी किस न्यायालय में है।
2. आज पुकार पर कोई भी अभियुक्त उपस्थित नही हुआ इसका अर्थ यह हुआ कि हाजरी फेंक है साथ में 317 का आवेदन प्रचालित नही किया गया। ऐसी स्थिति में हाजरी और 317 का आवेदन दोनों खारिज किया जाता है। अभियुक्तों को निर्देश दिया जाता है कि अगली तिथि पर दोनों अभियुक्त सदेह न्यायालय में उपस्थित रहेगें या निर्देश नही मानने की स्थिति में बंध पत्र खारिज कर दिया जायेंगा।

दिनांक 04.01.2022 वास्ते साक्ष्य/सेशन क्लर्क/जी0आर0 क्लर्क के प्रतिउत्तर एंव अभियुक्तों की सदेह उपस्थिति के लिए। इस आदेश की एक एक प्रति सेशन क्लर्क एंव जी0आर0 क्लर्क को भेजें।

अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, बारह
औरंगाबाद